पत्रांक-ज्वा0कमि0(वि0अनु0शा0)/मु0/स0प0/2014-15/ 1369/1415064/वाणिज्य कर

कार्यालय कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश

(वि0अनु0शा0अनुभाग)

लखनऊ :: दिनांक :: 01 सितम्बर,2014

1- समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर,

2- समस्त एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-2, वि0अनु0शा0,

वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

वर्तमान में कई ट्रेडस् में यह दृष्टिगत हो रहा है कि क्रय-विक्रय छिपाने, न्यूनतम उत्पादन प्रदर्शित करने तथा वाणिज्य कर वसूलने के उपरान्त भी उसे राजकोष में जमा न करके नियम विरुद्ध रुप से आई0टी0सी0 के रुप में समायोजन प्राप्त करने आदि माध्यमों से करापवंचन की प्रवृत्ति बढ़ रही है। अतः यह आवश्यक हो गया है कि ऐसे ट्रेडर्स एवं उनके पंजीकृत सम्व्यवहारियों को चिन्हीकृत करते हुए उनके द्वारा दाखिल किये जा रहे रुपपत्र-24 की सूक्ष्म समीक्षा एवं व्यापारिक गतिविधियों के सम्बन्ध में गोपनीय सूचनायें प्राप्त कर ली जाये और फिर क्रमशः ट्रेडवार सम्व्यवहारियों की बैठके आहूत करके उन्हें यह स्पष्ट कर दिया जाये कि उनकी फर्म तथा उनके वाणिज्यिक क्रिया-कलापों की सम्यक जानकारी वाणिज्य कर विभाग को है, अतः वे किसी भी कर अवधि के रिटर्न में अपना टर्नओवर छिपाने अथवा अवैधानिक रुप से कर का आई0टी0सी0 के रुप में समायोजन का प्रयास न करे। उन्हें स्पष्ट रुप से अवगत कराना आवश्यक हो गया है कि यदि वे अपना कार्य उचित रुप से करते हुए विभाग को नियम संगत रुप से राजस्व अदा करेंगे तो उन्हें कोई कठिनाई नहीं होगी अन्यथा उनके विरुद्ध वि0अनु0शा0 जांच आदि के माध्यम से कार्यवाही करने के लिए विभाग की विवशता होगी।

अतः कृपया इस सम्बन्ध में निम्नवत चरणबद्ध कार्यवाही सुनिश्चित की जाये :-

1- जोन में कार्यरत प्रत्येक वि0अनु0शा0 इकाई के साथ एक सचल दल इकाई को सम्मिलित करके प्रवर्तन ग्रुप बनाया जाये। आवश्यकतानुसार सचल दल इकाईयों के स्थान पर कर निर्धारण टीम भी सम्मिलित की जा सकती है। ऐसे ग्रुप का प्रभारी ज्वाइंट कमिश्नर (वि0अनु0शा0) को बनाया जाये। इस कार्य हेतु आवश्यकतानुसार ज्वाइंट कमिश्नर (कार्यपालक) को भी ग्रुप प्रभारी बनाया जा सकता है।

2- उपर्युक्त ट्रेड में क्रमशः मिष्ठान, रेस्टोरेन्ट, पान मसाला, आटा, मैदा मिल, सरिया, सीमेंट, इलेक्ट्रानिक गुड्स, खाद्यान या जोन के लिए सम्वेदनशील वस्तु में पंजीकृत बड़े सम्व्यवहारियों को चिन्हीकृत कर लिया जाये और निम्नवत कार्यवाही प्रत्येक ट्रेड के लिए क्रमशः कराई जाये।

3- उपर्युक्त ग्रुप में सम्मिलित एक-एक अधिकारियों को आवश्यक संख्या में फर्मो/ सम्व्यवहारियों को नियत कर अपेक्षा की जाये कि नियत की गयी फर्मो एवं सम्व्यवहारियों की व्यवसायिक गतिविधियों की तथ्यपरक गोपनीय जांच/ सूचना संकलित कर एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-2(वि0अनु0शा0) को उपलब्ध करायेंगे। यह गोपनीय जांच सम्बन्धित फर्म/ सम्व्यवहारी को सूचना दिये हुये बिना सम्पन्न की जायेगी।

4- जिन ट्रेड से सम्बन्धित फर्मो/ सम्व्यवहारियों के सम्बन्ध में रुपपत्र-24 की सूक्ष्म समीक्षा एवं गुप्त सूचनाओं के आधार पर करापवंचन के चिन्ह पाये जाये ऐसी चिन्हित फर्मो/ सम्व्यवहारियों की तत्काल बैठके आयोजित की जाये।उक्त बैठक में किन व्यापारियों को बुलाया जाना है, इस सम्बन्ध में निर्णय लिया जायेगा। बैठक जोन के एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1, की अध्यक्षता में एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-2,